साइमन कमीशन, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में जाना जाता है, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित एक संसदीय आयोग था। इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों के संबंध में समीक्षा करना और सिफारिशें करना था। आयोग की संरचना और इसके गठन से जुड़ी परिस्थितियों के कारण भारत में व्यापक विरोध और विरोध हुआ। साइमन कमीशन की प्रमुख विशेषताएं और परिणाम इस प्रकार हैं:

पृष्ठभूमि:

1. मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधार: 1919 के मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारत में सीमित स्वशासन की शुरुआत की, एक विधान परिषद बनाई और भारतीयों को सरकार में कुछ प्रतिनिधित्व प्रदान किया। हालाँकि, यह अधिक ठोस स्व-शासन की भारतीय अपेक्षाओं से कम रहा।
2. सुधार की मांग: भारतीय तेजी से संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इस संदर्भ में, ब्रिटिश सरकार ने मौजूदा संवैधानिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन नियुक्त करने का निर्णय लिया।

प्रमुख विशेषताऐं:

1. संघटन: साइमन कमीशन पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्यों से बना था, जिसमें कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। इसका नेतृत्व ब्रिटिश संसद सदस्य सर जॉन साइमन ने किया था और इसमें छह अन्य ब्रिटिश सदस्य शामिल थे, जिनमें से सभी श्वेत थे और कोई भारतीय सदस्य नहीं था।
2. संदर्भ की शर्तें: आयोग को 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने और आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अन्य संवैधानिक सुधार की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था।

परिणाम और प्रभाव:

1. व्यापक विरोध: बिना किसी भारतीय प्रतिनिधित्व वाले एक सर्व-ब्रिटिश आयोग की नियुक्ति के कारण भारत में व्यापक विरोध और विरोध हुआ। सभी राजनीतिक वर्गों के भारतीयों ने आयोग को अधिक स्व-शासन और प्रतिनिधित्व की अपनी मांगों के अपमान के रूप में देखा।
2. बहिष्कार और प्रदर्शन: भारतीयों ने साइमन कमीशन के भारत आगमन का बहिष्कार किया और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किये गये। प्रदर्शनकारियों ने "साइमन वापस जाओ" जैसे नारे लगाए।
3. लाला लाजपत राय की मृत्यु: लाहौर में साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे आक्रोश और बढ़ गया।
4. नेहरू रिपोर्ट: साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसमें भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं और स्वशासन की मांगों को रेखांकित किया गया।
5. गोलमेज़ सम्मेलन: साइमन कमीशन के व्यापक विरोध और विरोध ने अंततः ब्रिटिश सरकार को संवैधानिक सुधारों में भारतीयों की भागीदारी की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय संवैधानिक मामलों पर चर्चा के लिए 1930 और 1932 के बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया।
6. दीर्घकालिक प्रभाव: जबकि साइमन कमीशन के परिणामस्वरूप तत्काल संवैधानिक परिवर्तन नहीं हुए, इसने व्यापक राजनीतिक माहौल और 1935 के भारत सरकार अधिनियम और बाद में, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतिम विकास में योगदान दिया, जिसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की।

भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने में साइमन कमीशन की विफलता और उसके बाद के विरोध प्रदर्शनों ने स्व-शासन और संवैधानिक सुधार के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इसने भारत की स्वतंत्रता की राह के व्यापक आख्यान और एक अधिक प्रतिनिधि एवं स्वशासी प्रणाली में योगदान दिया।